पुण्य सलिला श्रीवास्तव, भा.प्र.से.
सचिव
PUNYA SALILA SRIVASTAVA, IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Government of India
Department of Health and Family Welfare
Ministry of Health and Family Welfare

अ.शा.सं.जेड.28015/06/2025-डीएम सेल

दिनांक: 17-4-2026

माननीय/माननीया सहयोगियों,

यह पत्र, देश के **स्वास्थ्य केंद्रों में आग की रोकथाम और सुरक्षोपाय को सुदृढ़** करने संबंधी इस मंत्रालय के पूर्व पत्राचार के क्रम में है। जैसा कि पूर्व में जारी परामर्श पत्रों में बताया गया था कि आग लगने की घटनाएँ स्वास्थ्य केंद्रों, विशेष रूप से ऐसी जगहों पर जीवन और अवसंरचना के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न करता है, जहाँ कमज़ोर रोगी अबाध और गहन परिचर्या सेवाओं पर निर्भर हों।

2. गर्मी का मौसम आने के साथ ही, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। रोगियों, स्वास्थ्य कर्मियों और अवसंरचना की सुरक्षा के लिए तैयारियों को सुदृढ़ करना, आग से सुरक्षा मानकों का अनुपालन बढ़ाना और सतर्कता-की संस्कृति को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है।

3. पिछले वर्षों में किए गए प्रयासों को जारी रखते हुए, यह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड महानिदेशालय के समन्वय से 4 मई से 10 मई 2026 तक पूरे देश में 'अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026' मनाएगा। यह आयोजन विशेष रूप से ज़िला-स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों और उससे उच्च स्तर के केंद्रों के साथ ही मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों पर केंद्रित होगा। इस आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के सभी स्तरों पर अग्नि सुरक्षा के निर्धारित उपायों के प्रति जागरूकता, तत्परता और अनुपालन को सुदृढ़ करना है।

4. इस वर्ष के अग्नि सुरक्षा सप्ताह का मुख्य विषय है: **सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज - आग की रोकथाम के लिए एक साथ"**। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 के दौरान क्रियाकलापों में एकरूपता सुनिश्चित करने और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, मुख्य संसाधन निम्नलिखित हैं:

क) अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 के लिए कार्यकलापों की समय-सारिणी – जिसमें स्वास्थ्य केंद्रों में किए जाने वाले दैनिक कार्यकलापों का विस्तृत विवरण होगा।

ख) अद्यतन अग्नि सुरक्षा मूल्यांकन चेकलिस्ट – जो सुव्यवस्थित मूल्यांकन के प्रति तैयारी और अनुपालन में सहायक होगा।

Room No. 11102, 'C' Wing, Kartavya Bhawan-1, New Delhi-110001
Tele.: (O) 011-24013601, 24013602, E-mail: secyhfw@nic.in

ग) अग्नि सुरक्षा शपथ – जिसे सभी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में दिलाया जाएगा, ताकि अग्नि सुरक्षा के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता पर और बल दिया जा सके।

इस सप्ताह के दौरान उपयोग की जा सकने वाली सभी ज़रूरी सामग्री एक शेयर्ड फ़ोल्डर https://drive.google.com/drive/folders/1UaWDsKGZQUWdb1dk5hdEDmEseM9Vda-?usp=drive link में उपलब्ध है। इसे सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों—विशेषकर मेडिकल कॉलेजों, ज़िला अस्पतालों और मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मियों, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के छात्रों के साथ-साथ समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हेतु प्रसारित किया जाना चाहिए।

5. **यह भी अनुरोध है कि स्वास्थ्य केन्द्रों -विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज, ज़िला अस्पतालों और मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल—अद्यतन चेकलिस्ट (अनुलग्नक) का उपयोग करके अग्नि सुरक्षा मूल्यांकन करें।** अग्नि सुरक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने और उसके बाद ज़िला तथा राज्य स्तर पर निगरानी के लिए, इस चेकलिस्ट का एक डिजिटल संस्करण आईएचआईपी (IHIP) पोर्टल (https://ihip.mohfw.gov.in/dmcell/#/login) पर भी उपलब्ध कराया गया है। ऑडिट के दौरान पाई गई किसी भी विसंगति को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए।

6. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भाग लेने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों को 'अग्नि सुरक्षा सप्ताह' के दौरान की गई गतिविधियों की तस्वीरें/वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से, इस मंत्रालय को टैग करते हुए, रिकॉर्ड करने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शपथ लेने और वेबिनार में शामिल होने के संबंध में निर्देश अनुलग्नक में उपलब्ध हैं। 'अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026' के दौरान की गई गतिविधियों पर, विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के संबंध में, एक 'कार्रवाई रिपोर्ट' कृपया इस आयोजन के समापन के बाद इस मंत्रालय के साथ साझा की जाए। किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए, आप डॉ. प्रदीप खासनोबिस, डीडीजी(DDG), आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं (दूरभाष: 011-24013392; ई-मेल: ddgdmcell-mohfw@gov.in)।

मैं 'अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026' को एक सार्थक और प्रभावशाली पहल बनाने में आपके नेतृत्व, सक्रिय भागीदारी और सहयोग की अपेक्षा करती हूँ।

भवदीया,

पुण्य

(पुण्य सलिला श्रीवास्तव)

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विशेष मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा)

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रेल मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के साथ समन्वय करने हेतु सभी क्षेत्रीय/जोनल प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दें।
2. सचिव, गृह मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि सीएपीएफआईएमएस और सीएपीएफ की सेवा करने वाले अन्य अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा सप्ताह में भाग लेने का निर्देश दें।
3. सचिव, रक्षा मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रक्षा मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के साथ समन्वय करने हेतु सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय को निर्देश दें।
4. सचिव, भारत सरकार को इस अनुरोध के साथ कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईएसआईसी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के साथ समन्वय करने हेतु ईएसआईसी को निर्देश दें।
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग को इस अनुरोध के साथ कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह में भाग लेने हेतु आईएमएस-बीएचयू को निर्देश दें।
6. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग - परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थलों के सभी अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा सप्ताह में भाग लेने का निर्देश दें।
7. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड महानिदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को इस अनुरोध के साथ कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों द्वारा अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने में सहयोग करने का निर्देश दें।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ कि सभी पैनलबद्ध अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा सप्ताह में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें।
9. अपर सचिव एवं महानिदेशक (सीजीएचएस) को इस अनुरोध के साथ कि सभी सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों और पैनलबद्ध अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा सप्ताह में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें।
10. केंद्रीय सरकारी अस्पतालों (सभी एम्स/आईएनआई सहित) के सभी कार्यकारी निदेशक/निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक।

पुण्य

(पुण्य सलिला श्रीवास्तव)

अनुलग्नक

क. नियोजित कार्यकलाप संबंधी कार्यक्रम

दिनांक	समय	कार्यकलाप	माध्यम
04.5.2026	प्रातः 11.00 बजे	उद्घाटन: क) सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 का क्रियान्वयन ख) सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा अखिल भारतीय प्रतिज्ञा ग) अग्नि एवं जीवन सुरक्षा दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन	ऑनलाइन*
	पूरे सप्ताह	ऑनलाइन प्रतिज्ञा और प्रश्नोत्तरी	ऑनलाइन
	सप्ताह भर चलने वाला कार्यकलाप	स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों में आंतरिक अग्नि सुरक्षा लेखापरीक्षा और आईएचआईपी पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करना [जिला अस्पताल और उससे ऊपर]	प्रत्यक्ष
	सप्ताह भर चलने वाले कार्यकलाप	स्वास्थ्य केंद्रों में जागरूकता कार्यकलाप: क) पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता ख) प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ग) निकासी मार्ग के नक्शे, सभा स्थल, तैयारी क्षेत्र घ) आग लगने के संभावित खतरे के बारे में जानकारी देना	प्रत्यक्ष
	सप्ताह भर चलने वाले कार्यकलाप	क्षमता निर्माण कार्यकलाप: क) स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों में अग्नि सुरक्षा संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण देना ख) आईसीयू/एनआईसीयू/पीआईसीयू/ओटी में स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों के लिए केंद्रित संक्षिप्त प्रशिक्षण ग) इंजीनियरों को विद्युत अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरुक बनाना घ) हाउसकीपिंग और सुरक्षा कर्मचारियों को जागरूक करना ङ) पास और रेस पर संक्षिप्त प्रशिक्षण	प्रत्यक्ष
	सप्ताह भर चलने वाले कार्यकलाप	अग्नि सुरक्षा निकासी माक ड्रिल: राज्य अग्नि सुरक्षा प्राधिकरण के समन्वय से अग्नि सुरक्षा निकासी मॉक ड्रिल आयोजित की जा सकती है। **सावधानी:** अभ्यास के दौरान, रोगियों के चल रहे उपचार में बाधा डाले बिना, एक उपयुक्त क्षेत्र को ड्रिल के लिए आरक्षित किया जाए।	प्रत्यक्ष
05.05.2026	अपराह्न 3:00 - 4:00 बजे	तकनीकी वेबिनार: क) संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय: आईसीयू/एनआईसीयू/पीआईसीयू/ऑपरेशन थिएटर ख) संवेदनशील क्षेत्रों से रोगियों की निकासी पर विशेष जोर	ऑनलाइन
06.05.2026	अपराह्न 3:00	तकनीकी वेबिनार:	ऑनलाइन

	- 4:00 बजे	क) स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों के लिए विद्युत अग्नि सुरक्षा ख) शासन संबंधी घटक और आंतरिक अग्नि सुरक्षा की लेखा परीक्षा करना	
07.05.2026	अपराह्न 3:00 - 4.00 बजे	तकनीकी वेबिनार: क) स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी नियम ख) अस्पताल अग्नि सुरक्षा योजना	ऑनलाइन
08.05.2026 - 10.05.2026	पूर्वाह्न 11.00– अपराह्न 1.00 बजे	केंद्र और राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों द्वारा विभिन्न अस्पतालों का दौरा	प्रत्यक्ष
11.05.2026	पूर्वाह्न 11:00 - अपराह्न 1:00 बजे	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों (आपदा प्रबंधन) के साथ संवाद करके आयोजित कार्यकलापों की समीक्षा करना और उनसे प्राप्त अनुभवों को साझा करना।	ऑनलाइन

ख. प्रतिज्ञा

<u>अग्नि सुरक्षा प्रतिज्ञा</u>

मैं अपने अस्पतालों, क्लीनिकों और स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की पूर्ण प्रतिज्ञा करता/करती हूँ।

मैं अपने संस्थान में, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को अग्नि सुरक्षा, आग लगने की आपात स्थिति में किए जाने वाले उपायों और रोकथाम के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में शिक्षित किया जाए, जागरूकता का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

मैं अपने यहाँ उपस्थित प्रत्येक रोगी, अपने साथ काम करने वाले प्रत्येक सहकर्मी और हमारे यहाँ आने वाले प्रत्येक आगंतुक की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का वचन देता/देती हूं।

हम सतर्कता के माध्यम से, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाए रखेंगे; तत्परता के माध्यम से, हम साहस और समर्पण के साथ आपात स्थितियों का सामना करेंगे।

मैं स्वयं, जागरूकता, सुदृढ़ सुरक्षा उपायों और हर स्तर पर पूर्ण जवाबदेही का समर्थन करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूं।

हम साथ मिलकर, अपने संकल्प को सुदृढ़ करेंगे, ज्ञान साझा करेंगे और अग्नि खतरों को रोकने के लिए नवाचार को अपनाएंगे।

हम एकजुट होकर, सुरक्षा और विश्वास की एक ऐसी विरासत का निर्माण करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य लाभ हेतु आश्रय स्थल बनें।

ग. अग्नि सुरक्षा मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट

<u>स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों (जिला अस्पताल स्तर और उससे ऊपर) के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी चेकलिस्ट</u>

क. सुविधा केंद्र का नाम और पता: ___________

ख. स्वास्थ्य केंद्र का प्रकार (सार्वजनिक/निजी):____________

ग. स्वास्थ्य केंद्र का स्तर (जिला अस्पताल/चिकित्सा एवं चिकित्सा महाविद्यालय/कॉर्पोरेट अस्पताल/नर्सिंग होम): ______________

घ. क्या वर्तमान मूल्यांकन (स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में) आंशिक है या पूर्ण? _________

ङ. यदि आंशिक है, तो अस्पताल के ब्लॉक/भवन/क्षेत्र का उल्लेख करें: ______________

च. क्या मूल्यांकन में आईसीयू/एचडीयू/नर्सरी/एनआईसीयू/पीआईसीयू भी शामिल थे (विवरण प्रदान करें): _______

छ. मूल्यांकन करने की तारीख: ________________________

नं.	सामान	अनुपालन (हाँ/नहीं/ आंशिक/एनए)	टिप्पणी [गैर या आंशिक अनुपालन के कारण / मुख्य निष्कर्ष]	सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें
	विनियामक अनुपालन			
1	फायर डिपार्टमेंट से वैलिड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट उपलब्ध है		[अगर हाँ, तो यह कब तक वैलिड रहेगा, यह बताना होगा]	सहायक दस्तावेज़
2	ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट/बिल्डिंग अप्रूवल उपलब्ध है		[अगर हाँ, तो यह कब तक वैलिड रहेगा, यह बताना होगा]	सहायक दस्तावेज़
3	पिछले 1 साल में या राज्य/UT के नियमों के अनुसार किया गया फायर सेफ्टी ऑडिट		[यदि हाँ, तो मुख्य निष्कर्ष]	सहायक दस्तावेज़
4	आग लगने की घटनाओं और सुधार के उपायों का रिकॉर्ड उपलब्ध है			
	भवन लेआउट और अग्नि पहुँच			
5	फायर टेंडर के लिए बिल्डिंग के चारों ओर कम से कम 6-मीटर का एक्सेस रोड/खुली जगह			
6	टर्निंग Radiusपर कम से कम 9 मीटर का रेडियस उपलब्ध है			
7	फायर टेंडर के आने-जाने का रास्ता बिना किसी ऊपरी रुकावट के है			
8	आग और बचाव गाड़ियों के लिए इमरजेंसी रास्ते बताने वाले सही साइन बोर्ड है			

9	छत और पानी की टंकी तक बिना किसी रुकावट के पहुँच सकते हैं?			
10	एम्बुलेंस बे ठीक से बनाया गया हो और आसानी से पहुँचा जा सकता है?			
11	बेसमेंट में जलने वाली चीज़ें न रखें, जब तक कि वे खास फायर-रेटेड कमरों में न हों।			
12	मरीज़ों की देखभाल के लिए बेसमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जात है			
	बचने और निकासी के साधन			
13	हर फ़्लोर पर मरीज़ों की देखभाल के लिए कम से कम दो Exit मौजूद हैं			
14	पेशेंट केयर एरिया से बाहर निकलने के रास्ते बिना रुकावट के हैं और उनमें कोई स्टोरेज नहीं है।			
15	बाहर निकलने के दरवाज़े भागने की दिशा में खुलते हैं और पूरी तरह खुलते हैं?			
16	सभी पेशेंट केयर एरिया में एग्जिट साइनेज साफ दिखाई दे रहे हैं और उन पर रोशनी है?			
17	बेड/स्ट्रेचर निकालने के लिए रैंप और कॉरिडोर आसानी से उपलब्ध हैं			
18	ICU/OTs में निकलने का दूसरा रास्ता है?			
19	बिल्डिंग के बाहर असेंबली एरिया की पहचान और मार्किंग है?			
20	क्या आग लगने की स्थिति में ICU/NICU/PICU/OT मरीज़ों को रखने के लिए कोई जगह तय की गई है?			
21	सभी फ्लोर पर अप्रूव्ड फायर इवैक्युएशन प्लान डिस्प्ले किया गया है?			
	आग का पता लगाने और अलार्म सिस्टम			

22	सभी पेशेंट केयर एरिया में ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम लगाया गया है?			
23	हर फ़्लोर पर मैनुअल कॉल पॉइंट (MCP) उपलब्ध हैं और काम कर रहे हैं?			
24	इमरजेंसी अनाउंसमेंट के लिए पब्लिक एड्रेस (PA) सिस्टम उपलब्ध है और काम कर रहा है?			
25	कॉरिडोर और एग्जिट में इमरजेंसी लाइटिंग चालू है?			
26	2 घंटे की फायर रेटिंग के साथ फायर कंट्रोल रूम बनाया गया है?			
	अग्नि शमन प्रणालियाँ			
27	जोखिम वाले इलाकों के हिसाब से पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए है?			
28	फायर एक्सटिंग्विशर का समय-समय पर निरीक्षण और रिफिलिंग किया जाता है?			
29	हाइड्रेंट सिस्टम इंस्टॉल और काम कर रहा है?			
30	होज़ रील और हाइड्रेंट वाल्व काम कर रहे हैं?			
31	ज़रूरी इलाकों में ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है?			
32	फायर पंप चालू हों और रेगुलर टेस्ट किए गए हों है?			
33	फायर वॉटर स्टोरेज टैंक उपलब्ध है और समय-समय पर साफ किया जाता है?			
34	आग से बचाव और आग बुझाने वाले सिस्टम की समय-समय पर टेस्टिंग की जाती है और रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है?			

	विद्युत अग्नि सुरक्षा			
35	इलेक्ट्रिकल वायरिंग ठीक से इंसुलेटेड हो और कोई ढीली वायरिंग न हो?			
36	असुरक्षित मल्टी-प्लग या टेम्परारी वायरिंग का इस्तेमाल न करें?			
37	इलेक्ट्रिकल पैनल को सुविधा के दूसरे एरिया से अलग करना/अलग करना गया है?			
38	समय-समय पर विद्युत ऑडिट किया जाता है?		[अगर हाँ, तो कंडक्ट की आखिरी तारीख और खास बातें बताएं]	सहायक दस्तावेज़
39	ELCB/RCCB/MCB सुरक्षा उपकरण लगाए गए और काम कर रहे हैं?			
40	स्वीकृत क्षमता के भीतर स्थापित विद्युत भार हैं?			
41	जनरेटर और बैकअप पावर सिस्टम का ठीक से रखरखाव किया गया है और वेंटिलेशन भी ठीक है?			
	मेडिकल गैस और खतरनाक सामग्री सुरक्षा			
42	ऑक्सीजन सिलेंडर तय जगह पर सुरक्षित रखे गए हैं?			
43	गैस स्टोरेज प्रैक्टिस PESO नॉर्म्स के हिसाब से है?			
44	ज्वलनशील पदार्थ गलियारों या निकास द्वारों के पास नहीं रखें गए हैं ?			
45	कोई ज्वलनशील पार्टिशन या पर्दे इस्तेमाल नहीं किए गया है?			
46	बेसमेंट में LPG/मेडिकल गैस का स्टोरेज नहीं किया गया है?			
	वेंटिलेशन और HVAC सुरक्षा			

47	किचन, लॉन्ड्री और जनरेटर रूम में वेंटिलेशन ठीक है?			
48	सभी पेशेंट केयर एरिया में HVAC डक्ट्स में फायर डैम्पर्स लगाए गए हैं और काम कर रहे हैं?			
49	क्या एयर कंडीशनिंग डक्ट्स से आग और धुएं के फैलने से होने वाले खतरों से बचने के लिए हर फ्लोर के लिए अलग एयर हैंडलिंग यूनिट्स (AHU) दिए गए हैं?			
	आपातकालीन तैयारी और प्रबंधन			
50	अस्पताल में नामित अग्नि सुरक्षा अधिकारी/अस्पताल आपदा प्रबंधन समिति है?			
51	फायर सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसमें डेज़िग्नेटेड फायर सेफ्टी ऑफिसर / एरिया-इन-चार्ज होंगे, और समय-समय पर मीटिंग होगी और टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा?		[यदि हां, तो आयोजन की अंतिम तिथि बताएं]	
52	आग से सुरक्षा और निकलने के तरीकों में ट्रेंड स्टाफ है?			
53	समय-समय पर फायर मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है? [रात की शिफ्ट सहित]		[यदि हां, तो आयोजन की अंतिम तिथि बताएं]	सहायक दस्तावेज़
54	मरीज़ को निकालने के लिए आस-पास के अस्पतालों/सुविधाओं के साथ एग्रीमेंट/नेटवर्क है?			
55	संपर्क विवरण फायर कंट्रोल रूम; सभी पेशेंट केयर एरिया में सबसे पास का फायर स्टेशन और पुलिस स्टेशन दिखाया गया है?			
	दस्तावेज़ीकरण और रखरखाव			
56	अस्पताल अग्नि कार्य योजना/आपदा प्रबंधन योजना उपलब्ध है**?**			

57	मंज़ूर और मौजूदा इंस्टॉलेशन लोड का एरिया-वाइज़ रिकॉर्ड उपलब्ध है?			
58	फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए AMC उपलब्ध है?			
59	फायरफाइटिंग इक्विपमेंट के मेंटेनेंस लॉगबुक को अपडेट किया गया है?			
60	क्या पिछले छह महीनों में आग लगने की कोई घटना हुई है?		[अगर हाँ, तो घटना का कारण; घटना की जगह; कितनी मौतें हुईं; क्या कार्रवाई की गई]	सहायक दस्तावेज़
61	फायर ड्रिल और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड रखा जाता है?			
62	समय-समय पर फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध हैं?			

महत्वपूर्ण: ऊपर उल्लिखित चेकलिस्ट केवल सुझावात्मक है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए है। मूल्यांकन करते समय, गृह मंत्रालय के अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक महानिदेशालय द्वारा जारी **"Fire Safety Audit Checklist Advisory for Hospitals/Nursing Homes"** का संदर्भ के रूप में पालन किया जाना चाहिए। यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है : https://mahafireservice.gov.in/firestation/Fire%20Safety%20Audit%20Checklist%20for%20Hoospital%20issued%20by%20DGCD.pdf

घ. *पंजीकरण के लिए निर्देश [प्रतिज्ञा और वेबिनार श्रृंखला]

- पंजीकरण लिंक: https://echo.zoom.us/webinar/register/WN_e-OjmoE2RkqMlAK5h0sbcA
- पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म भरें।
- प्रतिज्ञा और वेबिनार में शामिल होने का लिंक पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दिए गए ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।
- पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करें और कार्यक्रम में शामिल हों।

कृपया ध्यान दें कि यह लिंक साझा कार्यक्रम के अनुसार प्रतिज्ञा ग्रहण समारोह और वेबिनार में भाग लेने के लिए मान्य होगा।

पंजीकरण से संबंधित किसी भी तकनीकी सहायता के लिए, आप श्री कुलदीप कौशिक, प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी), फोन नंबर: 9560202279, ईमेल: kuldeep.kaushik@echoindia.in से संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण वेब लिंक

उद्घाटन और वेबिनार के लिए पंजीकरण	https://echo.zoom.us/webinar/register/WN_e-OjmoE2RkqMlAK5h0sbcA
सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए शेयर फ़ोल्डर [संबंधित जानकारी इस फ़ोल्डर में अपडेट की जाएगी]	https://drive.google.com/drive/folders/1UaWDsKGZQUWdb1dk5hdEDmEse-M9Vda-?usp=drive_link
अग्नि सुरक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने के लिए आईएचआईपी पोर्टल	https://ihip.mohfw.gov.in/dmcell/#/login